

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- कालु सिंह

किस्म मुकदमा - 128 भूरा.अधि.

विपक्षी :- ऊंकार सिंह

पत्रावली संख्या : 203/22

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दस्तावेज
फर्द तथा
सूचनाएं
जारी की
गई

दिनांक : 05.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 5 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 5 की खातेदारी भूमि है। विपक्षी संख्या 1 से 4 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 5 व विपक्षी संख्या 1 से 4 की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन विवाद होता है जिससे प्रार्थीगण सीमांकन कराना चाहता है। प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात का विकास कराने के लिये तारबन्दी करवाना चाहता है जिससे भविष्य में सीमा संबंधी कोई विवाद नहीं हो। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

:- आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा झालों का खेडा, पटवार हल्का लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 2 की आराजी नम्बर 32 से 42 किता 11 रकबा 3.4200 हैक्टर भूमि के चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को एक दिन का वेतन प्रार्थी द्वारा अदा किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

